(c) Speciel recruitment for filling up these vacaacies for SC/ST candidates *ie* in progrew.

टेलीफोन बिलों को माफ किया जाना

2005. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक टेलीफोन बिलों का नियमानुसार भुगतान न होने पर भी ये टेलीफोन काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या नियम हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सर्किल-वार कितने तथा कितनी धनराशि वाले टेलीफोन-बिलों को माफ किया गया है और टेलीफोन बिलों को माफ करने के संबंध में क्या नियम हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) कुछ टेलीफोन के बिलों का भुगतान न होने पर भी ये टेलीफोन काम कर रहे हैं क्योंकि—

(i) वे छूट-प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ;

(ii) बकाया राशि, संबंधित एक्सचेंज प्रणाली के द्विमासिक किराए से कम अथवा उसके बराबर है ;

(iii) ग्राहक मंचों अथवा न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के कारण ।

(ग) विभागीय नियमों के अनुसार किसी टेलीफोन बिल को माफ नहीं किया जाता है ।

गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

2006. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज से कितने टेलीफोनों के लिए मांग की गई तथा कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी नहीं, गुजरात में ग्रामीण एक्सचेंज संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं । तथापि वर्षा के दौरान ग्रामीण एक्सचेंजों से जुड़े कुछ ट्रंक जंक्शनों में खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण टेलीफोन सेवायें अपेक्षाकृत लम्बे समय तक प्रभावित होती है । इन खराबियों को दूर करने के लिये तत्काल कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त, पुरानी प्रौद्योगिकी के एक्सचेंजों में कभी-कभी यांत्रिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं । जिन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है ।

(ग) गुजरात में (31-2-94 तक की प्रतीक्षा सूची) ग्रामीण एक्सचेंजों में दर्ज भागों की संख्या 19019 है और 31.1.94 की स्थिति के अनुसार आवंटित कनेक्शनों की संख्या 5858 है ।

टेलीफोनों की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग

2007. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन की प्रतिष्ठापित क्षमता का पूर्ण-उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 8 लाख टेलीफोनों की प्रतिष्ठापित क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से से (ग) जो नहीं । 31-1-94 की स्थिति के अनुसार क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 84.6 है । अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कुछ महीनों की अवधि के दौरान पंजीकृत मांग के आधार पर हो जाता है ।

दूरसंचार प्रणाली का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

2008. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री रजनी रंजन साहू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1994 की "पत्रिका" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लेखा-परीक्षण संबंधी आपत्तियों तथा लेखा-परीक्ष प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है और इसके विस्तार तथा आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं को तब तक के लिये विलंम्बित रख रही है, जब तक कि पुरानी मशीनरी और उपकरण अपनी उपयोगिता की अवधि पूरी न कर लें; और

(ख) यदि हां, तो जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दूरसंचार प्रणाली के स्वतंत्र तथा निर्बाध विस्तार तथा इसके आधुनिकीकरण को सुनिश्चित कराने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों तथा लेखा परीक्षा प्रणाली ने समस्या पैदा नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायतों में डाक व तार घर

2009. **श्रीमती चंद्रिका अभिनन्दन जैन** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात में अनेक ग्राम पंचायतों को डाक व तार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाक व तार घर खोलने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई है, को प्राप्त करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक सुविधाएं सभी गांवों में उपलब्ध है । किन्तु, गुजरात की 5235 ग्राम पंचायतों तथा महाराष्ट्र को 15,302 ग्राम पंचायतों में डाकघर नहीं हैं, तथापि इन राज्यों के अनेक गांवों में तार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) देश की ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा क्रमश. विवरण-1 तथा विवरण-2 में दिया गया है, जिनमें डाकघर व तार सुविधायें नहीं हैं । (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) देश की सभी ग्राम पंचायतों में, जो दूरी, जनसंख्या तथा